

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीतासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/544
प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 02/03/20

1 जवाराराम पुत्र
सावताराम जाति दर्जी
निवासी सुथारों की ढाणी,
बलाऊ तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 रूपाराम पुत्र गंगाराम जाति दर्जी 2 भीखाराम 3
बगताराम 4 भीथाराम पिसरान डूंगराराम जाति सुथार 5
जलाल खां 6 सागीरखां 7 सबोगखां 8 अमराखां पिसरान
हासणखां 9 हारामखां पुत्र दारुणखां जाति मुसलमान 10
मदाराम पुत्र किरपाराम 11 मोटाराम पुत्र पुनमाराम 12
खेराजराम पुत्र दीनाराम 13 मानाराम पुत्र गिरधारीराम 14
सालुराम पुत्र गेनाराम 15 चिमनाराम पुत्र अचलाराम 16
खेराजराम पुत्र रेखाराम 17 चैनाराम पुत्र मेहराराम जाति
जाट 18 महेन्द्रा 19 सवाई पिसरान गिरधारी 20 मंगलाराम
पुत्र अंगाराम जाति रबारी निवासी सुथारों की ढाणी, बलाऊ
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 607/2018 दिनांक- 20/02/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बलाऊ पटवार क्षेत्र राणीगांव तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 273/50 रकबा 66.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच
सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/545-48

दिनांक- 02/03/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी राणीगांव तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जवाराराम पुत्र सावताराम जाति दर्जी निवासी सुथारों की ढाणी, बलाऊ तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी रूपाराम पुत्र गंगाराम वगैराह जाति दर्जी निवासी सुथारों की ढाणी, बलाऊ तहसील
व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

